

RAJASTHAN HIGH COURT

सत्यमेव जयते

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 4739/2026

Marta S/o Kachru, Aged About 28 Years, R/o Vikasor Bhojato Ka Oda Police Station Dovda District Dungarpur (At Present Lodged In District Jail Dungarpur)

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Jitendra Ojha Mr. Vikram Vaishnav
For Respondent(s)	:	Mr. Vikram Singh Rajpurohit, PP Mr. Kshitij Vyas, for complainant

HON'BLE MR. JUSTICE MUKESH RAJPUROHIT
(VACATION JUDGE)
Order

16/06/2026

The instant application for bail under Section 483 of BNSS (439 of Cr.P.C.) has been filed by petitioner who has been arrested in the present matter. The requisite details of the matter are tabulated herein below:

S. No.	Particulars of the case	
1.	FIR Number	374/2023
2.	Police Station	Dovda
3.	District	Dungarpur
4.	Offences alleged	Section 5(J)(ii)(L)/6 of POCSO Act and Sections 376(2), 366 & 452 of IPC

Learned counsel for the petitioner submitted that allegation against present petitioner is false and fabricated. It is further submitted that the statement of victim (P.W.8) has already been recorded before the learned trial court, wherein she has not

supported the prosecution story and turned hostile. The statement of victim (P.W.8), recorded before the learned trial court is being reproduced herein under :-

"शपथ दिलाई गई:-

मैं 5वीं कक्षा पास हूँ, मुझे मेरी जन्म तिथि नहीं पता। मेरी उम्र 22 वर्ष है। मैं मरता को नहीं जानती हूँ। मरता मेरे घर में नहीं घुसा, उसने मेरे साथ गलत काम बलात्कार नहीं किया, उसने मुझे धमकी नहीं दी, मैं मरता से गर्भवती नहीं हुई।

नोट:- विशिष्ट लोक अभियोजक ने गवाह को पक्षद्रोही घोषित करने की अनुमति चाही जो दी गयी।

जिरह द्वारा विशिष्ट लोक अभियोजक:-

यह कहना सही है कि पुलिस थाना दोवड़ा में मैंने रिपोर्ट दी थी जो प्रदर्श पी 11 है। रिपोर्ट प्रदर्श पी 11 का ए से बी भाग "सेवामें..... कृपा करे" सुनकर कहा कि इस तरिके की रिपोर्ट मैंने थाने में नहीं दी थी। सी से डी मेरे हस्ताक्षर है। चाक एफआईआर प्रदर्श पी 12 है जिस पर सी से डी मेरे हस्ताक्षर है। यह कहना सही है कि पुलिस वाले मुझे जनरल हॉस्पिटल डूंगरपुर मेडिकल कराने लाये थे मेडिकल रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 है जिस पर ए से बी भाग पर जो सहमति अंकित है वो मेरे द्वारा लिखी गयी नहीं है, सी से डी मेरे हस्ताक्षर है। मेडिकल रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 का ई से एफ भाग "पीड़िता ने बताया..... धमकी दी है सुनकर कहा कि ई से एफ भाग मेरे द्वारा डॉक्टर को नहीं बताया गया है। ओपीडी पर्ची प्रदर्श पी 02 है। पहचान फार्म प्रदर्श पी 03 है जिस पर एक्स स्थान पर मेरा फोटो है, ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। एफएसएल/डीएनए के अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी 04 व 05 है। नवजात शिशु का पहचान फॉर्म प्रदर्श पी 14 है जिस पर सी से डी मेरे हस्ताक्षर है। यह कहना सही है कि मेरे पुलिस में बयान हुए थे जो बयान प्रदर्श पी 21 है जिसका ए से बी भाग "मेरे माता-पिता..... कर दिया है" सुनकर कहा कि ऐसे बयान मैंने पुलिस वालों को नहीं दिये थे। यह कहना सही है कि मेरे पुलिस बयानों की विडियोग्राफी हुई थी जिसकी फर्द प्रदर्श पी 13 है जिस पर जी से एच मेरे हस्ताक्षर है। बयान की सीडी आर्टिकल 01 है। यह कहना सही है कि कार्यवाही के नाम पर पुलिस ने मेरे कोरे कागज पर हस्ताक्षर कराये थे। नक्शा मौका प्रदर्श पी 15 है जिस पर सी से डी मेरे हस्ताक्षर है। यह कहना सही है कि पुलिस वालों ने एक रिपोर्ट मेरे से प्राप्त की थी जो प्रदर्श पी 22 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है, रिपोर्ट प्रदर्श पी 22 का सी से डी भाग "सेवामें..... पेश है" सुनकर कहा कि रिपोर्ट मेरी हस्तलिखित नहीं है। यह कहना सही है कि मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष मेरे बयान हुए थे जो बयान प्रदर्श पी 23 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। बयान प्रदर्श पी 23 का सी से डी भाग "यह बात दिनांक... ..कुछ नहीं कहना है" सुनकर कहा कि ऐसे बयान मैंने

मजिस्ट्रेट साहब को नहीं दिये थे। यह कहना गलत है कि आज मैं मुलजिम को बचाने के लिए झूठे बयान दे रही हूँ।

जिरह द्वारा अधिवक्ता अभियुक्त—

हाजिर अदालत अभियुक्त मरता को देखकर गवाह ने कहा कि मैं इसे नहीं पहचानती हूँ।"

Moreover, the petitioner has been in custody since 12.02.2026 and trial of case will take sufficiently long time, therefore, benefit of bail may be granted to accused-petitioner.

Per contra, learned Public Prosecutor as well as learned counsel for the complainant have vehemently opposed bail application, however, they do not refute the fact that the victim herself has turned hostile.

Having heard and considered the rival submissions, facts and circumstances of the case as well as perused material available on record; and considering the statement of victim (P.W.8) has been recorded before the learned trial court; as also the fact that the petitioner has been in custody since 12.02.2026 and trial of case will take sufficient time to conclude; without expressing any opinion on merits/demerits of the case, this Court is inclined to enlarge petitioner on bail.

Consequently, bail application under Section 483 of BNSS (439 of Cr.P.C.) is allowed. It is ordered that accused-petitioner as named in the cause title, arrested in connection with above mentioned FIR, shall be released on bail, if not wanted in any other case, provided he furnishes a personal bond of Rs.50,000/- and two sureties of Rs.25,000/- each, to the satisfaction of learned trial court, for his appearance before that court on each &

every date of hearing and whenever called upon to do so till completion of the trial.

(MUKESH RAJPUROHIT), VJ

273-mSingh/-